न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

जयसिंह

बनाम

बनाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री अनिल राठी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1, 2, 4
3. श्री गुरूनाम सिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 3
4. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

आदेश

दिनांक 02 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 157/2019 अनवान बनाराम व अन्य बनाम बालाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि विवादित आराजी ग्राम इद्रोका तहसील व जिला जोधपुर के खसरा से 101 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा सं. रकबा 83 बीघा 07 बिस्वा भूमि अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विवादग्रस्त कृषि भूमि जब स्व. लिच्छमणराम जी ने खरीद की, तब उनके दोनों पुत्र यानि मोटाराम जी एवं रेस्पो. संख्या एक बनाराम जी नाबालिग एवं अल्पआयु में थे। उनकी स्वयं की कोई निजी आमदनी नहीं थी व न उनका कोई व्यवसाय ही था। लिच्छमणरामजी द्वारा लाड व प्यार या अन्य कारण से उनका नाम खरीद के दस्तावेज में लिखवा भी दिया। स्व लिच्छमणराम अकेले इस भूमि के खरीददार थे एवं जीवनपर्यन्त अकेले ही खातेदार व

	काबिज काश्तकार रहे, परंतु यदि फिर भी उपरोक्त वर्णनानुसार विकल्प में उनके उपरोक्त वर्णित दोनों पुत्रों मोटाराम व बनाराम का नाम खरीद के दस्तावेज में अथवा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा भी दिया गया है, तो इससे आज नाम दर्ज करवा देने से उन्हें इस विवादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है। अल्बता स्व. लिच्छमणराम जी के वारीस होने के नाते अन्य वारीसान भी अपना हक हिस्सा व अधिकार वादग्रस्त आराजी में क्लेम कर सकते है। यह उल्लेखनीय है कि विवादग्रस्त भूमि में स्व. लिच्छमणराम जी का 1/3 हिस्सा नहीं होकर संपूर्ण विवादग्रस्त कृषि भूमि के वे अकेले ही खातेदार/खरीददार थे और उनके देहांत पर उनके कब्जे, हक व खातेदारी की विवादग्रस्त कृषि भूमि उनके उक्त वर्णित उत्तराधिकारियों यानि पाचों पुत्रों एवं उनकी विधवा पत्नी को बराबर बराबर हिस्से में प्राप्त हुई और इस तरह स्व. लिच्छमणराम जी के देहावसान् पर विवादग्रस्त कृषि भूमि उत्तराधिकार में उनके पांचों पुत्रो व उनकी बैवा श्रीमती सुआ देवी को बराबर बराबर हिस्से में यानि 1/6, 1/6 हिस्से में प्राप्त हुई और इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज होना चाहिए था, परंतु इसके विपरीत जो इन्द्राज हुए हैं, वे निरस्त होने योग्य है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में काउंटर क्लेम एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी के जवाब एवं काउंटर क्लेम पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा अपीलाधीन आदेश में अपना कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया है तथा पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कि अप्रार्थी संयुक्त कब्जे काश्त में दखलअंदाजी व निर्माण कार्य न स्वयं करे और न किसी के मार्फत करावे, को ही जारी रखा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्ड की यथास्थिति के सबंध में किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम की आड़ में वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश विधि-विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।	

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को निरस्त किया जावे एवं वाद के लम्बित रहने तक विवादित भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्तागण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि है। इस कारण अपीलांट को पुश्तैनी आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2019 को अंतरिम आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी एवं निर्माण नहीं किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 04 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया जो विचारण न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्रों को द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 28.07.2023 के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाना पाया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी अथवा स्वअर्जित होने के तथ्य का निर्धारण मूल वाद मे ं जरिये साक्ष्य तय होना है। वर्तमान में मूल वाद के विचाराधीन रहते पक्षकारान् द्वारा राजस्व रेकर्ड की आड़ में वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण किया जाता है तो अनावश्यक वाद बाहुल्य बढेगा। विचारण न्यायालय इस तथ्य पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर पूर्वादेश की

परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालण्य को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 101 रकबा 31.06 बीघा, खसरा नंबर 132 रकबा 83.07 बीघा मौजा इन्द्रोजा तहसील जोधपुर के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर